**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2003 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 519**

==========

राम अवधेश यादव पिता रामयादी यादव, निवासी ग्राम-सासाराम में धनकारा, थाना- सासाराम (एम), जिला- रोहतास।

... ...
अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

... ... प्रतिवादी

==========

**के साथ**

**2004 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 12**

==========

मंगल यादव, पिता राम अवधेश यादव, निवासी ग्राम- सासाराम में धनकारा, थाना- सासाराम (एम), जिला- रोहतास।

... ...
अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

... ...प्रतिवादी

==========

**उपस्थिति :**

(आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 519/2003 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री सुमित शेखर पांडे, न्यायमित्र

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री ए.एम.पी. मेहता (अ.लो.अ.)

(आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 12/2004 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री सुमित शेखर पांडे, न्यायमित्र

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्रीमती अनीता कुमारी सिंह (अ.लो.अ.)

==========

***अपील का विषय - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 374(2) के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील। - गवाहों के बयानों में विरोधाभास, अभियुक्त की पहचान में असंगति, एवं स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति। - अभियोजन पक्ष की मुख्य दलीलें कमजोर पाई गईं, जिससे आरोपों की पुष्टि पर संदेह उत्पन्न हुआ। (संदर्भ: वडीवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य (1957 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 13))*** *(पैरा 19-20)* ***प्रक्रियात्मक त्रुटियां - धारा 313 दं.प्र.स. के तहत अभियुक्त से पूछताछ अधूरी रही।***

***- अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। - ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त का धारा 313 का बयान यंत्रवत् दर्ज किया, बिना मुख्य आरोपों को उचित रूप से समझाए। - (संदर्भ: सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2014) 10 एस सी सी 270])*** *(पैरा 31-32)*

***अपराध से संबंधित ठोस साक्ष्यों की अनुपस्थिति- अभियोजन पक्ष द्वारा कोई हथियार बरामद नहीं किया गया। - कथित देशी डबल बैरल बंदूक की बरामदगी नहीं हुई, जिससे अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न हुआ। - घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी भी जब्त नहीं की गई। -*** *(संदर्भ: जागे राम बनाम हरियाणा राज्य [(2015) 11 एस सी सी 366])* *(पैरा 15, 25, 29)*

***चिकित्सकीय साक्ष्य एवं गंभीर चोटों की अनुपस्थिति- अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत आरोप था, परंतु चिकित्सकीय साक्ष्यों ने स्पष्ट किया कि चोटें घातक नहीं थीं। - हत्या के प्रयास के लिए अभियुक्त का स्पष्ट हत्या का इरादा साबित होना आवश्यक है, मात्र चोट लगना पर्याप्त नहीं। - (संदर्भ: नंद लाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [(2023) 10 SCC 470])-*** *(संदर्भ: मध्य प्रदेश राज्य बनाम काशीराम [(2009) 4 एस सी सी 26])(पैरा 30)*

***पूर्व शत्रुता मात्र पर्याप्त प्रमाण नहीं- अभियोजन पक्ष ने पूर्व भूमि विवाद एवं व्यक्तिगत दुश्मनी को अपराध का कारण बताया, लेकिन यह आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया। - अदालत ने माना कि सिर्फ शत्रुता के आधार पर दोषसिद्धि संभव नहीं, जब तक अन्य ठोस साक्ष्य न हों।*** *(पैरा 20, 33)*

***निष्कर्ष - अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। - गवाहों के बयानों में असंगति,प्रक्रियात्मक त्रुटियां, और ठोस साक्ष्यों की अनुपस्थिति के कारण दोषसिद्धि रद्द कर दी गई। - अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया।*** *(पैरा 33)*

==========

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

==========

**कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र शेखर झा**

**मौखिक निर्णय**

**दिनांक: 11-07-2024**

इन दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई है, जो एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, तथा इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है।

**2.** श्री सुमित शेखर पाण्डेय, विद्वान न्यायमित्र तथा श्री ए.एम.पी. मेहता और श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, विद्वान अ.लो.अ. राज्य की ओर से सुनवाई की गई।

**3.**ये दोनों अपीलें अपीलकर्ताओं/दोषियों अर्थात् राम अवधेश यादव (आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 519/2003) और मंगल यादव (आपराधिक अपील(एकल पीठ) संख्या 12/2004) द्वारा विद्वान फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 1, रोहतास, सासाराम द्वारा एस.टी. संख्या 224/1992 (सासाराम (एम) थाना केस संख्या 238/1991 से उत्पन्न) में दिनांक 15.11.2003 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 17.11.2003 के सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके तहत दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक को चार साल के कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। 2000/- (दो हजार) का जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माना अदा न करने पर दोनों अपीलकर्ताओं को दो महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। जहां तक अपीलकर्ता मंगल यादव का सवाल है, उसे आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एक साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आगे आदेश दिया है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

**4**. अभियोजन पक्ष के मामले का सार सूचक सुचित यादव (अ.सा.-3) की लिखित सूचना से पता चलता है कि दिनांक 29.04.1991 को वह भोजन करने के पश्चात अपने भाई कन्हैया यादव (अ.सा.-4) एवं निसान यादव (अ.सा.-2) के साथ दलान की छत पर सो रहा था। उसके पिता (अ.सा.-1) दलान के बरामदे में सो रहे थे। बताया जाता है कि रात्रि लगभग 10.30 बजे उसके चाचा राम अवधेश यादव एवं चचेरा भाई मंगल यादव (दोनों अपीलार्थी/दोषी) 8-10 अज्ञात बदमाशों के साथ आये और उसका नाम लेकर उसकी तलाशी लेने लगे। यह सुनकर वह नीचे आया और मामले की जानकारी ली। इसी बीच मंगल यादव ने बताया कि उसे जान से मार दिया जायेगा और रामादेश यादव के आदेश पर मंगल यादव ने उस पर बन्दूक से गोली चला दी, जिससे उसकी जांघ में गोली लग गयी और वह गिर पड़ा। इसके बाद ग्रामीण एकत्र हो गए और आरोपी भाग गए। उसे उसके पिता व अन्य ग्रामीणों द्वारा सदर अस्पताल सासाराम लाया गया। बताया जाता है कि रामादेश यादव के उकसावे पर उसके पुत्र मंगल यादव ने अपने हथियार से गोली चला दी। उक्त बयान के आधार पर सासाराम (म.) थाना कांड संख्या 238/1991 दिनांक 29.4.1991 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 व शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया।

**5.** उपरोक्त लिखित सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया और अंततः मामला 14.11.2002 को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

**6**. प्रतिबद्धता के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर अपीलकर्ताओं/आरोपियों को आरोपों की व्याख्या की, जिस पर उन्होंने "दोषी नहीं" होने का तर्क दिया और ट्रायल का दावा किया।

**7**. विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों से पूछताछ की, जिनके नाम हैं, **अ.सा.-1 राम नरेश यादव, अ.सा.-2 निशान यादव, अ.सा.-3 सुचित यादव (सूचनाकर्ता) अ.सा.-4 कन्हैया यादव, अ.सा.-5 एस.आई. ललन उपाध्याय, अ.सा.-6 डॉ. देवेन्द्र त्रिपाठी**, जिन्होंने इस मामले में घायल सुचित यादव/सूचनाकर्ता/घायल से पूछताछ की थी।

**8**. अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच के बाद तथा परीक्षण के दौरान सामने आए साक्ष्यों और आपत्तिजनक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,

अपीलकर्ताओं/आरोपियों सहित आरोपी व्यक्तियों के बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसे पूरी तरह से निर्दोष बताते हुए नकार दिया गया।

**9.** बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों से पूछताछ की गई।

**10.** विचारण के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं/दोषियों को उपरोक्त शर्तों के तहत दोषी करार देते हुए दण्डित किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

**11.** इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई।

**<u>अपीलकर्ताओं/दोषियों की ओर से प्रस्तुतीकरण</u>**

**12.** श्री सुमित शेखर पांडे, *विद्वान न्यायमित्र*, ने इस न्यायालय की सहायता करते हुए प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता/दोषी मंगल यादव (आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 12/2004 में अपीलकर्ता) द्वारा अपीलकर्ता/दोषी राम अवधेश यादव (आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 519/2003 में अपीलकर्ता) के निर्देश/उकसाने पर गोली चलाई गई थी, जो कोई और नहीं बल्कि पिता-पुत्र हैं, जिन्होंने बहुत नजदीक से शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर गोली चलाई थी। इस तथ्य का समर्थन लगभग सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों ने किया, जिसमें घायल/अ.सा.-3 अर्थात् सुचित यादव भी शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि गोलीबारी की कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है और चूंकि गोली शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर चलाई गई थी, इसलिए यह अनुमान लगाना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता/दोषी घायल/अ.सा.-3 की "मौत का कारण बनने के इरादे" से नहीं थे।

**13.** विद्वान न्यायमित्र ने बताया कि अ.सा.-1 अर्थात राम नरेश यादव घटना के वर्ष के बारे में भी गवाही देने में विफल रहा। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना आधी रात की है, जिसमें प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था और अ.सा.-3/घायल के बयान से यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों की पहचान नहीं कर सका, जिन्होंने उस पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। यह बताया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत सुने बिना आवाज पहचान के आधार पर पहचान के पक्ष में गलत अनुमान लगाया। यह भी बताया गया है कि पिछली दुश्मनी को स्वीकार किया गया है जिसके लिए अ.सा.-3/घायल ने उसे माफ़ करने के लिए कहा, जो यह सुझाव देने के लिए

पर्याप्त है कि उकसावे की वजह घायल था। यह भी बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला स्थापित करने के लिए मुख्य विचार "मृत्यु का कारण बनने का इरादा" है। इसे स्थापित करने के लिए कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। यह बताया गया है कि वर्तमान मामले में, केवल इस आधार पर कि बंदूक की गोली के कारण चोट लगी थी, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया, जो कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार विश्वसनीय नहीं है। प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान न्यायमित्र ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया, जैसा कि **जगे राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2015) 11 एससीसी 366 और नंद लाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2023) 10 एससीसी 470** के मामले में रिपोर्ट किया गया है।

**14.** यह भी कहा गया है कि घायल/अ.सा.-3 के अलावा अ.सा.-1, अ.सा.-2 और अ.सा.-4 भी घटना के चश्मदीद गवाह हैं। उनके बयान से, मुकदमे के दौरान कई भौतिक विरोधाभास सामने आए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यदि उन्हें ध्यान में रखा जाए, तो यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ताओं/दोषियों के संबंध में सभी उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा।

**15.** विद्वान *न्यायमित्र* ने यह भी बताया कि जांच के दौरान कोई आग्नेयास्त्र या खाली कारतूस जब्त नहीं किया गया, यहां तक कि जांच अधिकारी घटनास्थल से खून के धब्बे भी नहीं ले पाए, जबकि खून के धब्बे मौजूद थे। यह भी बताया गया कि अभियोजन पक्ष के सभी चार गवाह परिवार के सदस्य हैं और वे इच्छुक गवाह हैं। गवाहों शिवनाथ और बहादुर की जांच नहीं की गई, जो अ.सा.-1 के बयान के अनुसार घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे थे।

**16.** विद्वान *न्यायमित्र* ने आगे बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सह-आरोपी/दोषी राम अवधेश यादव के उकसावे पर अपीलकर्ता मंगल यादव द्वारा कथित गोलीबारी की गई थी, जो पिछली दुश्मनी के कारण हुई थी, लेकिन मुकदमे के दौरान सामने आए इस भौतिक साक्ष्य को दंड प्रक्रिया संहिता की **धारा 313** के तहत दोनों अपीलकर्ताओं/दोषियों के समक्ष नहीं रखा गया था और इसलिए, केवल इसी आधार पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषसिद्धि को रद्द/रद्द किया जाना चाहिए

क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी/अपीलकर्ताओं/दोषियों के ध्यान में ऐसे सभी प्रश्न लाने में विफल रहा, बल्कि इसे बहुत ही गूढ़ और यांत्रिक तरीके से दर्ज किया गया था। उपरोक्त दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने **सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2014) 10 एससीसी 270]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

**17.** राज्य के विद्वान अ.लो.अ. ने अपील का विरोध करते हुए दलील दी कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के बयान इस बात पर एकमत हैं कि अभियुक्त-अपीलकर्ता राम अवधेश यादव के उकसावे पर अभियुक्त-अपीलकर्ता मंगल यादव ने अ.सा.-3/घायल पर गोली चलाई। यह बताया गया कि उनके बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विद्वान अ.लो.अ. ने यह भी बताया कि मामूली विरोधाभास सामने आना स्वाभाविक है और वे इस तरह के नहीं हैं कि उनके आधार पर, जैसा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया है, दोषसिद्धि पर सवाल उठाया जा सके।

**18.** मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क पर भी ध्यान दिया है। इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अपील के न्यायोचित एवं उचित निपटान के लिए साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन आवश्यक है।

**19.** अ.सा.-1 राम नरेश यादव है, जो अ.सा.-3 का पिता है। उसने बयान दिया कि रात करीब साढ़े दस बजे ये दोनों अपीलकर्ता दस अज्ञात व्यक्तियों के साथ उसके घर आए और अ.सा.-3 अर्थात सुचित यादव का पता पूछा। उसने स्पष्ट किया कि शियो मंगल को मंगल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बयान से पता चलता है कि जब वे आपस में बातचीत कर रहे थे, तब अ.सा.-3/सुचित यादव, जो कन्हैया यादव (अ.सा.-4) और निशान यादव (अ.सा.-2) के साथ छत पर सो रहा था, नीचे आया, जहां अ.सा.-3 ने मुखबिर से उसकी गलती के लिए उसे माफ करने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। यह बयान दिया गया कि इसके बाद अपीलकर्ता/दोषी मंगल यादव ने कहा कि वह उसे मार देगा, उसे भी अपीलकर्ता/दोषी राम अवधेश यादव ने उकसाया और उसी पर उसने सुचित यादव/अ.सा.-3 पर अपनी डबल बैरल देशी बंदूक से गोली चला दी, जो उसके ऊपरी जांघ में लगी, इसके बाद चिल्लाने पर शिवनाथ, बहादुर व अन्य कई ग्रामीण वहां आ गए, जिसके बाद अपीलकर्ता-अभियुक्त भाग गया। उसके बयान से ऐसा प्रतीत होता है

कि भूसा रखने के स्थान के संबंध में घटना के 4/5 दिन पहले घटना घटी थी। वह घटना की तारीख, महीना और वर्ष भी बयान करने में विफल रहा। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना अंधेरी रात में हुई थी। उसने बयान दिया कि उसने घटना की सूचना उसी दिन पुलिस को नहीं दी क्योंकि वह अपने बेटे के इलाज में व्यस्त था, बल्कि घटना की सूचना पहली बार चौकीदार द्वारा पुलिस थाने को दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को छत पर ऊपर जाते नहीं देखा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे/अ.सा.-3 को छत पर नहीं बल्कि भूतल पर चोट लगी थी। उन्होंने कहा कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने उनके बेटे को घर की छत से भूतल पर घसीटा। उन्होंने कहा कि वे यह नहीं देख सके कि छत पर कोई फायरिंग हुई थी या नहीं। उन्होंने कहा कि भूतल/बरामदा में लालटेन की रोशनी उपलब्ध थी। उन्होंने कहा कि अभियुक्त व्यक्ति उनके छोटे भाई और भतीजे हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके बेटे/अ.सा.-3 कई डकैती के मामलों में शामिल थे जो अदालत में लंबित हैं, जहां उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि डकैती की एक ऐसी ही घटना में उन्हें गोली लगी थी और इसका फायदा उठाकर संपत्ति विवाद के कारण उनके छोटे भाई और भतीजे को झूठा फंसाया गया था।

**20.** अभि0-2 निशान यादव है, जिसने बताया कि घटना दिनांक 28.04.1991 की है, जो रात्रि 10:30 बजे घटित हुई तथा उस समय वह कन्हैया यादव (अ.सा.-4) के साथ घर की छत पर सो रहा था तथा उसके पिता भूतल/बरामदा में सो रहे थे। यह बयान दिया गया कि दोनों अपीलार्थी/दोषी 8-10 अज्ञात व्यक्तियों के साथ वहां आये तथा उसके पिता/अभि0-1 पर हमला करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात, जब उसका भाई छत से नीचे आया, तो अपीलार्थी राम अवधेश यादव के उकसावे पर अभियुक्तगण/अपीलकर्ताओं ने उसे जान से मारने के उद्देश्य से अपीलार्थी मंगल यादव ने उसके भाई सुचित यादव (अभि0-3) पर गोली चला दी, जिसके बाद वह डर के मारे घटनास्थल से भाग गया। उसने बताया कि वह पुनः घटनास्थल पर आया तथा उसके बाद सुचित यादव/अभि0-3 को सासाराम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। घटना भूसा भंडारण को लेकर हुई थी, जिसके लिए घटना से 4/5 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था।

**20.1.** जिरह में उसने बताया कि उसे घटनास्थल पर पहुंचने में दस मिनट लगे। बताया गया कि वह घटनास्थल पर तुरन्त नहीं पहुंचा, बल्कि वहीं सो रहा

था। उसने बताया कि उसके पहुंचने से पहले उसके परिवार का कोई भी सदस्य घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि वह घटनास्थल पर 20 मिनट बाद पहुंचा। बताया गया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई/पी.डब्लू.-3 उसके शरीर के दाहिनी ओर लेटा हुआ था। बताया गया कि उसके भाई ने केवल गमछा पहना हुआ था, वहां खून भी छिड़का हुआ था और गमछा भी खून से सना हुआ था। बताया गया कि उसके पहुंचने के पांच मिनट बाद ही वहां सह-ग्रामीण भी आ गए थे। बताया गया कि घटना के अगले दिन पुलिस ने उसके भतीजे राजेन्द्र और स्थानीय चौकीदार की मौजूदगी में उसका बयान दर्ज किया था। यह कहा गया कि उन्होंने घटनास्थल पुलिस को दिखाया, जहां जांच अधिकारी ने मिट्टी ली। यह कहा गया कि अपीलकर्ता/दोषी मंगल यादव उनके चाचा हैं, जो राम अवधेश यादव के बेटे हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि घायल/सूचनाकर्ता को अपनी लापरवाही के कारण गोली लगी।

**21.** अ.सा.-3 घायल सुचित यादव है, जो इस काण्ड का सूचक भी है तथा उसके *फर्दबयान* के आधार पर वर्तमान काण्ड दर्ज किया गया है। उसने बताया कि घटना छः वर्ष पूर्व घटित हुई थी तथा रात्रि के 10:00 बजे थे तथा उस समय वह अपने भाई कन्हैया यादव (अ.सा.-4) तथा निशान यादव (अ.सा.-2) के साथ अपने मकान की छत पर सो रहा था तथा उसके पिता (अ.सा.-1) भूतल/बरामदा पर सो रहे थे। उसने बताया कि उसके चाचा राम अवधेश यादव तथा चचेरे भाई मंगल यादव 7-8 अज्ञात व्यक्तियों के साथ वहां आये तथा उसके पिता को घेर लिया तथा उनके बारे में पूछने लगे। बातचीत सुनकर वह नीचे आया, जहां उसके चचेरे भाई मंगल सिंह (यादव) ने कहा कि वह उसे जान से मार देगा। उसने उसे माफ करने की प्रार्थना की, लेकिन उसके चाचा ने उसे जान से मारने के लिए उकसाया, जिस पर उसके भाई मंगल यादव ने डबल बैरल देशी बन्दूक से उस पर गोली चला दी, जो उसके जांघ में लगी, जिससे वह गिर गया। इसके बाद आरोपीगण भाग गये। चीख-पुकार पर हीरा सिंह, बहादुर सिंह, शिवनारायण सिंह आदि वहां पहुंचे, जिसके बाद उसे सासाराम अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया।

**21.1.** जिरह करने पर उसने एस.टी. संख्या 228/92 का आरोपी होने से इनकार किया। वह घटना की तारीख, समय और वर्ष के बारे में गवाही देने में विफल रहा। वह यह भी गवाही देने में विफल रहा कि घटना की रात अंधेरी रात थी या

चांदनी। यह कहा गया कि आरोपी/अपीलकर्ता उसकी तलाश में उसके घर की छत पर चढ़ गए। उसने कहा कि घटना स्थल पर कोई बिजली का बल्ब नहीं था। वह खुद जमीन पर गिर पड़ा। उसने यह भी कहा कि उसने किसी अपीलकर्ता/आरोपी को अपने पिता पर हमला करते नहीं देखा। उसने अपने पिता पर *हुर्रा* (*लाठी* का कुंद सिरा) के घाव देखे। उसने नहीं देखा कि किसने *हुर्रा* से हमला किया। उसे अपने पिता/अ.सा.-1 से पता चला कि उन्हें एक या दो *हुर्रा* के घाव लगे थे। उसके पिता की मेडिकल जांच नहीं की गई। वह आज तक उन 7-8 अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करने में विफल रहा। वह करीब 10 से 20 मिनट तक आरोपियों/अपीलकर्ताओं से बातचीत कर रहा था और बातचीत के दौरान 3-4 सह-ग्रामीण भी मौजूद थे। इसके बाद उसने कहा कि वहां सिर्फ आरोपी ही थे। 10 मिनट की बातचीत के दौरान अपीलकर्ताओं/आरोपियों में से किसी ने भी उस पर गोली नहीं चलाई। वह अपीलकर्ताओं/आरोपियों के पास खड़े 7-8 अज्ञात व्यक्तियों के हाथ में कुछ नहीं देख सका। वह उन अज्ञात व्यक्तियों का चेहरा नहीं देख सका, क्योंकि उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसका बयान पुलिस ने दर्ज किया था और उसके अंगूठे का निशान लिया गया था। वह यह नहीं बता सकता कि आई.ओ. (दरोगा जी) ने उसका बयान पढ़ा या नहीं, क्योंकि वह पूरी रात बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो वह यह नहीं बता सका। बताया गया कि गोली लगने के बाद वह लगभग 15-20 मिनट तक होश में रहा और उसके बाद वह बेहोश हो गया और जब वह होश में आया तो वह यह नहीं बता सकता। बताया गया कि रात में अंगूठे का निशान लेने के बाद अगले दिन उसका बयान भी दर्ज किया गया। उसने इस बात से इनकार किया कि उस पर आर्म्स एक्ट के तहत कोई मामला नहीं चल रहा है और वह यह नहीं बता सकता कि वह एस.टी. संख्या 28/92 में आरोपी है या नहीं। इसके बाद उसने कहा कि उसके खिलाफ एक मामला लंबित है और उक्त मामले के संबंध में वह तीन महीने तक हिरासत में रहा। बताया गया कि घटनास्थल पर कोई बिजली का बल्ब नहीं था बल्कि उस समय लालटेन जल रही थी। बताया गया कि वह यह नहीं बता सकता कि लालटेन पूरी तरह जल रही थी या नहीं। उसके पिता लालटेन के पास मौजूद थे। वह यह बयान देने में विफल रहा कि जिस स्थान पर उसे गोली लगी वहां लालटेन की रोशनी उपलब्ध थी या नहीं। उसके पास टॉर्च या लाइटर नहीं था। उन्होंने खुद से कहा कि यह चांद की रोशनी थी। उन्होंने दस में से केवल दो व्यक्तियों यानी दोनों अपीलकर्ताओं/दोषियों की पहचान करने की बात कही।

**22.** अ.सा.-4 कन्हैया यादव, जिसने बयान दिया कि घटना लगभग पांच वर्ष पूर्व रात्रि लगभग 10:00 बजे की है तथा उस समय वह अपने पिता राम नरेश यादव (अ.सा.-1) तथा भाई सुचित यादव (अ.सा.-3) एवं निशान यादव (अ.सा.-2) के साथ अपने दालान (वरंदा) में था। उसके पिता वरंदा में सो रहे थे। वह अपने भाई सुचित यादव एवं निशान यादव के साथ छत पर सो रहा था। अपीलार्थी/दोषी मंगल यादव अपने पिता राम अवधेश यादव सहित कई अज्ञात व्यक्तियों के साथ वहां आया, जिसकी उसने पहचान की। उसने बयान दिया कि मंगल यादव ने सुचित यादव पर गोली चलाई, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। घटना के दौरान उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को चोट नहीं आई। उसने बताया कि इस घटना के बाद एस.एच.ओ. सासाराम में उनके घर पर छापा मारा गया, जिसके बाद उनके भाई (अ.सा.-3) को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। यह कहा गया कि जब अपीलकर्ता/दोषी सहित आरोपीगण उनके घर आए, उस समय केवल बिजली का बल्ब उपलब्ध था। किसी भी आरोपी ने अपना चेहरा नहीं ढका था। उन्होंने कहा कि वह इस न्यायालय के समक्ष पहली बार गवाही दे रहे हैं, क्योंकि इस बयान से पहले उनका बयान कभी दर्ज नहीं किया गया था। जब अपीलकर्ता/दोषी उनके घर आए, तो उन्होंने शोर नहीं मचाया। यह कहा गया कि अपीलकर्ता/दोषी के साथ आए आरोपीगण भी बंदूक से लैस थे। वह यह नहीं बता सकते कि उनमें से कितने बंदूक थे और कितने राइफल। सभी आरोपीगण एक साथ उनके घर आए और एक साथ खड़े थे। यह कहा गया कि केवल एक ही गोली चलाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी/अपीलकर्ता मंगल यादव उनके चचेरे भाई हैं। इस मामले में पुलिस ने उनका बयान कभी दर्ज नहीं किया।

**23.** अ.सा.-5 ललन उपाध्याय है, जो इस मामले का जांच अधिकारी है तथा उसने घटना का समर्थन किया तथा यह बयान दिया कि उसने सुचित यादव (घायल/अ.सा.-3) तथा राम नरेश यादव (अ.सा.-1) का बयान दिनांक 28.04.1991 को लगभग 2:30 बजे अस्पताल में ही दर्ज किया था। उसने कहा कि अ.सा.-3 का बयान उसके द्वारा दर्ज किया गया था तथा उसकी पहचान करने पर, वह बयान उसके हस्तलेख में लिखा हुआ था, अ.सा.-3 का *फर्दबयान* परीक्षण के दौरान न्यायालय के समक्ष **प्रदर्श-1** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उसने एस.एच.ओ. (नगर) द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने के संबंध में दिए गए समर्थन की पहचान की तथा उसकी पहचान करने पर, उसे **प्रदर्श-2** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उसने घायल

(अ.सा.-3) के दाहिने जांघ पर खून बहता हुआ घाव पाया था, जिसके लिए उसने चोट रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे कार्बन प्रक्रिया का उपयोग करके दो प्रतियों में तैयार किया गया था, जिसे उसने न्यायालय के समक्ष पहचाना तथा उसकी पहचान करने पर उसे **प्रदर्श-3** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने जांच के दौरान पी.डब्लू.-2 और पी.डब्लू.-4 के बयान दर्ज किए और घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। घटनास्थल के विवरण के अनुसार, जैसा कि उन्होंने बयान दिया, यह सूचक/पी.डब्लू.-3 के घर के दालान (वरंदा) से लगी समतल भूमि प्रतीत होती है। उन्होंने आरोप-पत्र पर अपनी लिखावट और हस्ताक्षर भी पहचाने, जो पहचान करने पर **प्रदर्श-4** के रूप में प्रदर्शित हुए।

**23.1.** जिरह करने पर उसने बताया कि उसे घटना की सूचना एस.एच.ओ. शहर से लगभग 2:00 बजे मिली। वह मोटरसाइकिल से अकेले ही अस्पताल गया था। पी.डब्लू.-3/घायल का बयान दर्ज करने से पहले उसने किसी डॉक्टर से अनुमति नहीं ली थी। घायल/पी.डब्लू.-3 को पुरुष वार्ड में भर्ती कराया गया था तथा वह यह बयान देने में असफल रहा कि घायल को औपचारिक रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया था या नहीं। उसने केस डायरी में घायल का बेड नंबर तथा टिकट नंबर नहीं लिखा है। उसने बताया कि पुरुष वार्ड में प्रवेश करने के पश्चात उसने धनकरहा गांव के घायल के बारे में पूछताछ की, जिस पर नरेश यादव (पी.डब्लू.-1) जो घायल का पिता है, ने बताया कि सूचक (पी.डब्लू.-3) को गोली लगी है। उसने वह खाट जब्त नहीं की जिस पर घायल को अस्पताल लाया गया था। उसकी मुलाकात नरेश यादव (पी.डब्लू.-1) से अस्पताल के बाहर हुई थी। उसने बताया कि उसने घायल का बयान तब दर्ज किया जब वह होश में था। उसने घायल को कोई इंजेक्शन या सलाइन लेते हुए तब तक नहीं देखा जब तक वह वहां मौजूद था। उस समय तक पी.डब्लू.-3 की चोट पर पट्टी नहीं बंधी थी। उन्होंने अस्पताल के किसी रजिस्टर से यह नहीं पूछा कि घायल/पी.डब्लू.-3 को कब भर्ती कराया गया था। उन्होंने अस्पताल में ही नरेश यादव और कन्हैया यादव (पी.डब्लू.-4) का बयान दर्ज किया। वे 29.04.1991 को प्रातः 5:30 बजे घटनास्थल पर गए। यह प्रस्तुत किया गया कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उस समय निशान यादव (पी.डब्लू.-2) वहां उपस्थित थे। उन्होंने 28.05.1991 को चिकित्सक द्वारा तैयार की गई चोट रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने घटनास्थल पर खून के धब्बे पाए। उन्होंने कहा कि किसी भी गवाह ने उन्हें यह नहीं बताया कि सूचक/घायल अपने होश में नहीं है। उन्हें घायल/सूचक/पी.डब्लू.-3 द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि वे अपना बयान देने की स्थिति में नहीं हैं।

**24.** पी.डब्लू.-6 डॉ. देवेन्द्र त्रिपाठी ने घायल/सूचनाकर्ता/पी.डब्लू.-3 त्रिपाठी की जांच की, जिन्होंने 29.04.1991 को दोपहर 1:30 बजे ही दाहिनी आंख के ऊपरी भाग पर 1/3″ x 1/3″ गहराई में जले हुए घाव और उल्टे मार्जिन के साथ घाव पाया तथा दाहिने ग्लूटियल क्षेत्र पर ½″ x ½″ के साथ एक और घाव पाया, जो चोट संख्या 1 से संबंधित है, इसलिए चोट संख्या 1 प्रवेश का घाव है और चोट संख्या 2 निकास का घाव है। दोनों चोटें आग्नेयास्त्रों के कारण हुई बताई गई हैं। चोट की प्रकृति एक्स-रे रिपोर्ट तक सुरक्षित रखी गई थी।

**25. जागे राम (उपर्युक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के **पैरा 12, 13 और 14** को तत्काल संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

> "**12.** धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के उद्देश्य से अभियोजन पक्ष को (i) हत्या करने का इरादा और (ii) अभियुक्त द्वारा किए गए कृत्य को स्थापित करना होगा। अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के गवाह की हत्या करने का प्रयास किया था। अभियुक्त व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने का इरादा था या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली घातक चोट पहुंचाई गई हो। यद्यपि वास्तव में पहुंचाई गई चोट की प्रकृति अभियुक्त के इरादे के बारे में निष्कर्ष निकालने में सहायक हो सकती है, लेकिन ऐसी मंशा अन्य परिस्थितियों से भी साबित की जा सकती है। अभियुक्त के इरादे को परिस्थितियों से जाना जाता है जैसे कि इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, घटना के समय अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द, अभियुक्त का मकसद, शरीर के वे हिस्से जहां चोट पहुंचाई गई और चोट की प्रकृति और वार की गंभीरता दिया गया, आदि.
>
> **13.** *मध्य प्रदेश राज्य बनाम काशीराम [मध्य प्रदेश राज्य बनाम काशीराम, (2009) 4 एससीसी 26: (2009) 2 एससीसी (क्रि) 40: एआईआर 2009 एससी 1642]*, धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को आकर्षित करने के इरादे के दायरे को विस्तृत किया गया

था और इसे निम्नानुसार माना गया था: (एससीसी पीपी. 29-30, पैरा 12-13)

*"12.* ... '13. धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह पर्याप्त है कि इसके निष्पादन में कोई स्पष्ट कार्य के साथ इरादा मौजूद हो। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। धारा अभियुक्त के कार्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। अदालत को यह देखना होगा कि क्या कार्य, इसके परिणाम के बावजूद, इरादे या ज्ञान के साथ और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में किया गया था। इसलिए, धारा 307 के तहत आरोपित एक अभियुक्त आईपीसी के तहत किसी को केवल इसलिए बरी नहीं किया जा सकता कि पीड़ित को लगी चोटें साधारण चोट की प्रकृति की थीं।

14. इस स्थिति को राज्य में उजागर किया गया था महाराष्ट्र बनाम बलराम बामा पाटिल [राज्य महाराष्ट्र बनाम बलराम बामा पाटिल, (1983) 2 एससीसी 28 :1983 एससीसी (सीआरआई) 320], गिरिजा शंकर बनाम यूपी राज्य। *[गिरिजा शंकर बनाम यूपी राज्य, (2004) 3 एससीसी 793: 2004 एससीसी (सीआरआई) 863] और आर. प्रकाश बनाम राज्य कर्नाटक [सं. प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य, (2004) 9 एससीसी 27: 2004 एससीसी (सीआरआई) 1408]।*

* * *

16. क्या हत्या करने का इरादा था या यह ज्ञान था कि मृत्यु होगी, यह तथ्य का प्रश्न है और यह किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ऐसी परिस्थितियाँ कि अभियुक्त द्वारा पहुँचाई गई चोट साधारण या मामूली थी, अपने आप में धारा 307 आईपीसी के आवेदन को खारिज नहीं करेगी। निर्णायक प्रश्न इरादा या ज्ञान है, जैसा भी मामला हो, न कि चोट की प्रकृति। ' देखें राज्य *एम.पी. बनाम सलीम [सलीम मामला, (2005) 5 एस.सी.सी. 554: 2005 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 1329]*, एस.सी.सी. पृष्ठ 559-60, पैरा 13-14 और 16

13. '6. अपर्याप्त सजा देने के लिए अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी और कानून की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास को कमजोर करेगी और समाज ऐसे गंभीर खतरों के

तहत लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इसलिए, प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया या किया गया, आदि को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। सेवका पेरुमल बनाम टी.एन. राज्य [*सेवका पेरुमल बनाम टी.एन. राज्य, (1991) 3 एस.सी.सी. 471: 1991 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 724] में इस न्यायालय द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया गया था' (सलीम मामला [सलीम मामला,* (2005) 5 एस.सी.सी. 554: 2005 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 1329], एस.सी.सी. पृष्ठ 558, पैरा 6)"

**14**. सुखबीर के सिर पर चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार, चोटों की प्रकृति, चोटों की जगह और वार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालतों ने धारा 307 आईपीसी के तहत दूसरे अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए। हमारे विचार से, धारा 307 आईपीसी के तहत दूसरे अपीलकर्ता राजबीर उर्फ राजू की सजा अप्रतिरोध्य है।

**26**. अ.सा.-1 राम नरेश यादव जो अ.सा.-3 का पिता है, के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि घटना कन्हैया यादव (अ.सा.-4) और निशान यादव (अ.सा.-2) की मौजूदगी में हुई, जो उसके बेटे और घायल/अ.सा.-3 के भाई भी हैं। उसने ट्रायल के दौरान कहीं भी यह नहीं कहा कि उसे घटना के दौरान कोई चोट लगी है। अ.सा.-2 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वह घटना स्थल पर 20 मिनट बाद आया और उसके आने से पहले उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले इन दोनों गवाहों के बयान ने वास्तविक गोलीबारी की घटना के समय घटनास्थल पर एक-दूसरे की उपस्थिति का खंडन किया। अ.सा.-3/घायल के बयान से यह भी पता चलता है कि घटना के दौरान उसके पिता/अ.सा.-1 को भी हुर्रा (लाठी का कुंद सिरा) से चोट लगी थी, लेकिन इस तथ्य का समर्थन अ.सा.-1 द्वारा भी नहीं किया गया। यह उल्लेख करना और भी महत्वपूर्ण है कि अ.सा.-1, अ.सा.-2 और यहां तक कि घायल-सूचनाकर्ता/अ.सा.-3 ने भी यह बयान दिया कि अभियुक्त अपीलकर्ता राम अवधेश यादव के उकसावे पर अभियुक्त-अपीलकर्ता मंगल यादव द्वारा गोलीबारी की गई थी, लेकिन अ.सा.-4 कन्हैया यादव के बयान से यह कहीं भी नहीं लगता कि दोषी-अपीलकर्ता राम अवधेश यादव के उकसावे पर गोलीबारी की

गई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान अ.सा.-3 को छोड़कर किसी को चोट नहीं आई। अ.सा.-4, जो घायल अ.सा.-3 का भाई है, का बयान खुली गोलीबारी के लिए उकसाने के आरोप को पूरी तरह से नकार रहा है और इस प्रकार अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह पैदा कर रहा है, जो कथित गोलीबारी का मूल है, जैसा कि अ.सा.-1, अ.सा.-2 और अ.सा.-3 ने बयान दिया है।

**27**. अभियोजन पक्ष के सभी चार गवाहों ने लगातार यह बयान दिया कि दोनों आरोपी/अपीलकर्ता 7-8 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मुखबिर के घर आए थे। उनमें से किसी की भी (दो अपीलकर्ताओं को छोड़कर) पहचान नहीं हो पाई। अ.सा.-1, अ.सा.-2 और अ.सा.-3 के बयान के अनुसार प्रकाश का स्रोत भी संदिग्ध प्रतीत होता है, लेकिन अ.सा.-4 के बयान के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जब आरोपी व्यक्ति अपीलकर्ताओं/दोषियों के साथ मुखबिर के घर आए, तो बिजली के बल्ब की रोशनी उपलब्ध थी। उन्होंने यह गवाही दी कि सभी आरोपी राइफल और बंदूक जैसे आग्नेयास्त्रों से लैस थे, जबकि अ.सा.-3 और अ.सा.-2 ने स्पष्ट रूप से यह गवाही दी कि अपीलकर्ताओं/दोषी को छोड़कर, कोई भी अज्ञात आरोपी व्यक्ति किसी भी हथियार से लैस नहीं था। अ.सा.-3 ने इस बात से भी इनकार किया कि जब आरोपी उसके घर आए थे, तब तक कोई बिजली का बल्ब जला हुआ था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ताओं/दोषियों की पहचान आवाज पहचान से संभव है, क्योंकि वे एक जैसे और परिचित हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ट्रायल के दौरान ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया कि अपीलकर्ताओं/दोषियों की पहचान उनकी आवाज पहचान से की गई थी, जिससे अपीलकर्ताओं की पहचान संदिग्ध हो गई।

**28**. अ.सा.-1 के बयान से यह पता चलता है कि घटना के तुरंत बाद शिवनाथ, बहादुर और अन्य सह-ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर आए। इसी प्रकार अ.सा.-2 ने भी कहा कि घटना के बाद विभिन्न जातियों के सह-ग्रामीण वहां आए। अ.सा.-3/घायल/सूचनाकर्ता ने भी कहा कि घटना के तुरंत बाद हीरा सिंह, बहादुर सिंह और शिव नारायण सिंह घटनास्थल पर आए। वे अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में स्वतंत्र गवाह हो सकते थे, लेकिन जांच/परीक्षण के दौरान उनकी जांच नहीं की गई। औपचारिक प्रकृति के गवाहों को छोड़कर सभी अभियोजन पक्ष के गवाह रिश्तेदार हैं और मामले के परिणाम में अत्यधिक रुचि रखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

स्वतंत्र गवाहों की उपलब्धता के बावजूद केवल इच्छुक गवाहों के आधार पर ही दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई।

**29.** ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एजेंसियों की ओर से कई खामियां हैं। घटनास्थल पर खून के धब्बे होने के बावजूद, इस मामले के जांच अधिकारी द्वारा इसे एकत्र नहीं किया गया। घटना के समय मुखबिर ने केवल गमछा पहना हुआ था, जिसके बारे में कहा गया था कि वह भी खून से सना हुआ था, लेकिन उसे भी जब्त नहीं किया गया। बंदूक या खाली कारतूस की कोई जब्ती नहीं है, यहां तक कि घायल को औपचारिक रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया है या नहीं, इसकी भी जांच नहीं की गई। अ.सा.-3 के बयान के मद्देनजर यह भी संदिग्ध प्रतीत होता है कि घटना के 15 से 20 मिनट बाद ही वह बेहोश हो गया और अस्पताल ले जाने के दौरान भी वह बेहोश रहा और जब वह होश में आया तो वह यह कहने की स्थिति में नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में, इस मामले में घायल/अ.सा.-3 का *फर्दबयान* दर्ज करने से पहले उपस्थित चिकित्सक की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक प्रतीत होती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि *फर्दबयान* तब दर्ज किया गया था, जब अ.सा.-3 होश में था। अ.सा.-3/घायल के बयान से यह प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी उसके अंगूठे का निशान लेने के बाद चले गए और अगले ही दिन फिर आकर उसका बयान दर्ज किया। यही बात **'प्रदर्श-1',** जिसे सासाराम अस्पताल में 1:30 बजे दर्ज किया जाना बताया गया है, और वर्तमान मामले के आधार पर गंभीर संदेह पैदा करती है। उपरोक्त तथ्य के साथ, अ.सा.-3 को "पूर्णतः विश्वसनीय" गवाह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

**30. नन्द लाल (उपर्युक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के **पैरा 32 और 33** का संदर्भ देना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

> *"32. निस्संदेह, वर्तमान मामला इच्छुक गवाहों के साक्ष्य पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनमें से दो घायल गवाह हैं। इस न्यायालय ने, वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य [1957 एससीसी ऑनलाइन एससी 13] में, इस प्रकार टिप्पणी की है:*
>
> > *"11. ... इसलिए, हमारी राय में, यह एक ठोस और सुस्थापित कानून नियम है कि न्यायालय को किसी तथ्य को साबित करने या नकारने के लिए*

*आवश्यक साक्ष्य की गुणवत्ता से मतलब है, न कि मात्रा से। आम तौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:*

*(1) पूर्णतः विश्वसनीय।*

*(2) पूर्णतः अविश्वसनीय।*

*(3) न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय*

*12. सबूत की पहली श्रेणी में, न्यायालय को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए - वह एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकता है या बरी कर सकता है, अगर उसे संदेह या स्वार्थ, अक्षमता या दलाली के संदेह से परे पाया जाता है। दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुँचने में समान रूप से कोई कठिनाई नहीं होती है। यह तीसरी श्रेणी के मामलों में है, जहाँ न्यायालय को सावधान रहना चाहिए और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा भौतिक विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी चाहिए।*

**33.** इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि "पूरी तरह से विश्वसनीय" गवाह की श्रेणी में अभियोजन पक्ष के लिए ऐसे गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि के लिए दबाव डालना कोई मुश्किल नहीं है। "पूरी तरह से अविश्वसनीय" गवाह के मामले में, फिर से, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि "पूरी तरह से अविश्वसनीय" गवाह द्वारा प्रदान की गई मौखिक गवाही के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। वास्तविक कठिनाई साक्ष्य की तीसरी श्रेणी के मामले में आती है जो आंशिक रूप से विश्वसनीय और आंशिक रूप से अविश्वसनीय है। ऐसे मामलों में, अदालत को सावधान रहना चाहिए और अनाज

से भूसा अलग करना चाहिए, और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य से आगे की पुष्टि की मांग करनी चाहिए।

**31.** अभिलेखों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं/दोषियों का बयान **सीआरपीसी की धारा 313** के तहत बहुत ही गूढ और यांत्रिक तरीके से दर्ज किया गया था, उनके खिलाफ मुकदमे के दौरान सामने आए प्रासंगिक साक्ष्य को पेश किए बिना, यहां तक कि अपीलकर्ता/दोषी मंगल यादव के रूप में अपीलकर्ता/दोषी राम अवधेश यादव के खिलाफ कथित उकसावे के भौतिक पहलुओं को भी पेश नहीं किया गया, जैसे कि अ.सा.-3/सूचनाकर्ता पर गोली चलाना।

**32.** **सुखजीत सिंह** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैरा **10, 11, 12 और 13** को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

> "**10.** धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछे गए प्रश्नों की गहन जांच करने पर, हम पाते हैं कि प्रश्न पूछते समय अभियुक्त के ध्यान में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं लाई गई है। श्री तलवार ने दलील दी है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत लगाई गई आवश्यकता एक खाली औपचारिकता नहीं है। उपर्युक्त दलील को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने ***रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य*** **[(2009) 6 एससीसी 595: (2009) 3 एससीसी (क्रि) 92]** में दिए गए प्राधिकरण से प्रेरणा ली है। उसी पर भरोसा करते हुए, वह तर्क देंगे कि जब धारा 313 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को आपत्तिजनक सामग्री नहीं दी गई है, तो यह ट्रायल कोर्ट की ओर से गंभीर चूक है, जिससे कानून में दोषसिद्धि गलत साबित होती है।
>
> **11.** इस संदर्भ में, हम ***तारा सिंह बनाम राज्य*** **[1951 एससीसी 903: एआईआर 1951 एससी 441: (1951) 52 क्रि एलजे 1491]** में चार न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें, बोस, जे. ने धारा 342 के साथ ईमानदारी और निष्पक्ष अनुपालन के

महत्व को समझाते हुए, जैसा कि यह तब था, इस प्रकार राय व्यक्त की: (एआईआर पीपी. 445-46, पैरा 30)।

"30. मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के प्रावधानों का ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करने के महत्व पर बहुत जोर नहीं दे सकता। कमिटल कोर्ट में पूछे गए सवालों और जवाबों की लंबी श्रृंखला को पढ़ना और यह पूछना कि क्या कथन सही है, उचित अनुपालन नहीं है। इस तरह का सवाल गुमराह करने वाला है। इसका मतलब यह हो सकता है कि प्रश्नकर्ता यह जानना चाहता है कि रिकॉर्डिंग सही है या नहीं, या दिए गए जवाब सही हैं या नहीं, या सटीक रिकॉर्डिंग के बावजूद कोई गलती या गलतफहमी है या नहीं। इसके अलावा, तथ्यों की लंबी श्रृंखला को एक साथ जोड़ना और आरोपी से पूछना कि वह उनके बारे में क्या कहना चाहता है, पर्याप्त अनुपालन नहीं है। उससे प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति के बारे में अलग से पूछताछ की जानी चाहिए जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाना है। धारा का पूरा उद्देश्य आरोपी को उसके खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का उचित और उचित अवसर प्रदान करना है। इसलिए पूछताछ निष्पक्ष होनी चाहिए और इसे ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे कोई अज्ञानी या अशिक्षित व्यक्ति भी इसे समझ पाएगा और समझ पाएगा। यहां तक कि जब कोई आरोपी व्यक्ति अशिक्षित नहीं होता है, तब भी जब उस पर हत्या का आरोप लगाया जाता है, तो उसका मन विचलित हो जाता है। इसलिए वह किसी जटिल प्रश्न के महत्व को समझने की स्थिति में नहीं है। इसलिए निष्पक्षता की आवश्यकता है कि प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को सरल और अलग-अलग तरीके से रखा जाना चाहिए ताकि अशिक्षित मन, या जो विचलित या भ्रमित है, आसानी

से इसे समझ सके और समझ सके। मैं यह सुझाव नहीं देता कि इस संबंध में प्रत्येक त्रुटि या चूक अनिवार्य रूप से किसी मुकदमे को खराब कर देगी क्योंकि मेरा मानना है कि इस प्रकार की त्रुटियां सुधारे जा सकने वाली अनियमितताओं की श्रेणी में आती हैं। इसलिए, प्रत्येक मामले में प्रश्न त्रुटि की डिग्री और इस बात पर निर्भर करता है कि पूर्वाग्रह हुआ है या होने की संभावना है। मेरी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के प्रावधानों की अवहेलना इस मामले में इतनी गंभीर है कि मुझे लगता है कि पूर्वाग्रह की गंभीर संभावना है।

12. ***हेते सिंह भगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य*** **[1951 एससीसी 1060: एआईआर 1953 एससी 468: 1953 क्रि एलजे 1933]** में, जस्टिस बोस ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए संहिता के तहत अभियुक्त के बयान दर्ज करने के महत्व पर प्रकाश डाला और इस प्रकार व्यक्त किया: (एआईआर पृष्ठ 469-70, पैरा 8)

"8. अब धारा 208, 209 और 342, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए अभियुक्त व्यक्ति के बयान मुकदमे में विचार किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से हैं। यह याद रखना होगा कि इस देश में किसी अभियुक्त व्यक्ति को बॉक्स में प्रवेश करने और अपने बचाव में शपथ पर बोलने की अनुमति नहीं है। यह कुछ मामलों में अभियुक्त की सुरक्षा के लिए काम कर सकता है, लेकिन अन्य जगहों के अनुभव से पता चला है कि यह एक निर्दोष व्यक्ति के हाथों में बचाव का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली हथियार भी हो सकता है। कमिटिंग मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए अभियुक्त के बयान भारत में इंग्लैंड और अमेरिका में गवाह बॉक्स में अपने तरीके से बयान करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

**13.** उपरोक्त सिद्धांत को ***अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य*** **[(2007) 12 एससीसी 341 : (2008) 1 एससीसी (क्रि) 371]** में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया है: (एससीसी पृष्ठ 347-48, पैरा 14)

"14. उपधारा (1)(ख) में 'सामान्यतः' शब्द प्रश्नों की प्रकृति को मामले से संबंधित सामान्य प्रकृति के एक या अधिक प्रश्नों तक सीमित नहीं करता है, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रश्न पूरे मामले से सामान्यतः संबंधित होना चाहिए और इसके किसी विशेष भाग या भागों तक सीमित होना चाहिए। प्रश्न इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि अभियुक्त को यह पता चल सके कि उसे क्या स्पष्ट करना है, उसके विरुद्ध कौन सी परिस्थितियाँ हैं और किसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। धारा का पूरा उद्देश्य अभियुक्त को उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का उचित और उचित अवसर प्रदान करना है और प्रश्न उचित होने चाहिए और ऐसे रूप में होने चाहिए जिसे कोई अज्ञानी या निरक्षर व्यक्ति भी समझ सके। अभियुक्त द्वारा वह स्पष्ट न करने पर दोषसिद्धि जो उसे कभी स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा गया था, कानून में गलत है। संहिता की धारा 313 को अधिनियमित करने का पूरा उद्देश्य यह था कि अभियुक्त का ध्यान विशिष्ट मामले की ओर आकर्षित किया जाए। आरोप और साक्ष्य में ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष का दावा है कि आरोपी के खिलाफ मामला बनता है ताकि वह अपनी इच्छानुसार स्पष्टीकरण दे सके।

**33.** उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों के मद्देनजर, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं/दोषियों के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा।

**34**. अतः, विद्वान फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 1, रोहतास, सासाराम द्वारा एस.टी. संख्या 224/1992 (सासाराम (एम) थाना केस संख्या 238/1991 से उत्पन्न) में दिनांक 15.11.2003 को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 17.11.2003 को दिए गए सजा के आदेश को रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है।

**35**. तदनुसार, दोनों अपीलार्थी/दोषी अर्थात् राम अवधेश यादव और मंगल यादव को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा संदेह का लाभ देते हुए उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। चूंकि दोनों अपीलार्थी/दोषी जमानत पर थे, इसलिए उन्हें उनके संबंधित जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त किया जाता है।

**36**. तदनुसार, उपर्युक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

**37**. पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह *विद्वान न्यायमित्र* श्री सुमित शेखर पांडे को इन दोनों अपीलों के निपटारे में अपनी बहुमूल्य पेशेवर सेवा प्रदान करने के लिए समेकित शुल्क के रूप में 7,500/- रुपये (सात हजार पांच सौ रुपये मात्र) का भुगतान करें।

**38**. इस निर्णय की एक प्रति ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड के साथ विद्वान ट्रायल कोर्ट को तत्काल भेजी जाए।

**(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)**

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।